

15/3/21

2020
00019

पत्रावली पेश करी अखिलकषा पाकी एवं
अपुकी उपान्धित नही। आवाज लागवई गइ
अखिलकषा पाकी एवं पाकी एवं तथा अपुकी
उपान्धित नही। अतः प्रकार अन्तगत आदेश
09 नियम 03 जा. की. के तहत खारीज किया
जाता है। पत्रावली के लिये शुभा होका नम्बर
से कम हो।

(श्याम सुन्दर विनोई)

सहायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौड़गढ़ (राज.)

